कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग
रामनगर (नैनीताल)
dfo_ramnagar@rediffmail.com, दूरभाष/फैक्स नं0 05947-251362

पत्रांक :- 921/12-1 रामनगर, दिनांक :- 10/10/24

सेवा में,

वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

विषयः- रामनगर में बस पोर्ट की स्थापना/विकास कार्य हेतु रामनगर-रानीखेत मार्ग से लगी हुयी अवशेष वन भूमि 0.120 है0 को लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भः- नोडल अधिकारी, देहरादून का पत्र 2443/FP/UK/Others/145973/2021 दिनांक 27.04.2023 एवं मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन), उत्तराखण्ड परिवहन निगम कुमाऊँ मण्डल काठगोदाम का पत्र 1317/के0आर/4-भूमि भवन/रामनगर बस स्टे0/24 दिनांक 13.05.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों के क्रम में विषयांकित प्रस्ताव पर लगाई गयी आपत्तियों का निराकारण कर आख्या मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन), उत्तराखण्ड परिवहन निगम कुमाऊँ मण्डल काठगोदाम द्वारा सन्दर्भित पत्र के माध्यम से इस उपलब्ध कराई गयी, जो निम्न प्रकरण हैः-

क्र0सं0	आपत्ति	निराकरण/प्रतिउत्तर
1	विषय सूची के अनुसार संलग्न प्रपत्र/प्रमाण पत्रों में पृष्ठ संख्या अंकित की जानी है।	प्रस्ताव विभाग द्वारा अवगत कराया गया है की प्रस्ताव में विषय सूची के अनुसार संलग्न प्रपत्र/प्रमाण पत्रों में पृष्ठ संख्या अंकित कर दी गयी है।
2	प्रस्ताव में संलग्न SIR रिपोर्ट में बिन्दु संख्या-B पर कोई टिप्पणी नहीं की गयी है।	उक्त के क्रम में SIR रिपोर्ट की बिन्दु संख्या-B पर सूचना अंकित कर दी गयी है।
3	प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण आख्या में उल्लेख किया गया है कि प्रस्तावित प्रयोजन हेतु उक्त भूमि का हस्तान्तरण उचित प्रतीत नहीं होता है, वहीं आपके द्वारा प्रस्ताव पर संस्तुति प्रदान की गयी है, सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्थिति स्पष्ट की जानी है।	उक्त के क्रम में अवगत कराना है की तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण आख्या की बिन्दु सं0 2 में प्रस्तावक द्वारा आवेदित वन भूमि **संरेखण-1, जिसमें 0.120 है0 वन भूमि प्रभावित होने के साथ 04 हरे खड़े वृक्षों का पातन एवं एक वन चौकी का धवस्तिकरण किया जाना अपरिहार्य होगा,** को उपरोक्त कारणों से अनुपयुक्त बताते हुए उक्त संरेखण को निरस्त किया गया है। साथ ही उक्त संरेखण के सापेक्ष **संरेखण-2 रोडवेज बस स्टेशन से लगी सामने की ओर की 0.1526 है0** वन भूमि को बसपोर्ट के संचालन हेतु एवं सार्वजनिक हित में अधिक उपयुक्त होगी, की संस्तुति की गयी है।
4	SIR के बिन्दु संख्या-3 में उल्लेख दिया गया है कि श्रीमती पदमा देवी के नाम लीज दर्ज है, जो कि कालतीत हो चुकी है। लीज धारक द्वारा उक्त भूमि का नवीनीकरण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्राविधानों का उल्लंघन प्रतीत होता है। विभाग द्वारा प्रभाग स्तर पर इस पर क्या कार्यवाही की गयी है, इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जानी है।	उक्त के क्रम में अवगत कराना है की प्रभाग द्वारा समय-समय पर लीजधारक श्रीमती पदमा देवी को लीज नवीनीकरण कराने अथवा भूमि खाली करने के नोटिस जारी किये गये है।
5	प्रश्नगत प्रयोजन हेतु चयनित भूमि के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी की स्थल निरीक्षण आख्या के बिन्दु	उक्त के क्रम में अवगत कराना है की तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण आख्या की बिन्दु सं0 2 में